-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा ट्यूबवेल का ताला तोड़कर मोटर स्टार्टर, लोहे की पाइप, केबल तार आदि की चोरी करने वाले 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के सामान आदि बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा ट्यूबलेल का ताला तोड़कर चोरी करने वाले 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मवई वुजुर्ग के रहने वाले अनुरुद्ध प्रताप ने कल दिनांक 02.07.2026 को थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी थी कि दिनांक 28.06.2026 की रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके ट्यूबवेल का ताला तोड़कर मोटर स्टार्टर, लोहे की पाइप, केबल तार आदि की चोरी कर ली है तथा सिचाई वाले पाइप व अन्य सामानों में आग लगा दिया था। सूचना पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 03.07.2026 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ युवक एक कबाड़ की दुकान पर लोहे की पाइप बेचने की बात कर रहे है जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे है। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल पुलिस द्वारा बताए स्थान मवई चौराहे के पास दबिश देकर 04 अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। मौके से चोरी के सामान भी बरामद हुए है। पूछताछ में अभियुक्तों ने चोरी के जुर्म को स्वीकार किया साथ ही केबल तार से तांबा निकलाने के लिए केबल को भी जलाना भी स्वीकार करते हुए बताया कि वे सभी रात्रि में घूमते रहते है तथा जहां कही भी लावारिस वस्तु मिलती है या ऐसे मकान जहां रात्रि में कोई नहीं रहता है वहां पर चोरी कर लेते है। इस सम्बन्ध पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जा रही है कि इनके द्वारा और किन-किन स्थानों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है साथ ही इन सभी के आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है।

बरामदगी-

- 03 लोहे की डिलीवरी पाइप (चोरी की)
- 01 लोहे की फ्रेम (चोरी की)
- 01 लोहे की सरिया की सीढ़ी (चोरी की)
- 20 फीट केबल तार (चोरी की)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुमित पुत्र संतोष निवासी खरेही खप्टिहाकलां थाना पैलानी जनपद बांदा।
2. रामबाबू पुत्र सभाजीत निवासी मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. हरिशंकर पुत्र दिलीप निवासी मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
4. पप्पू पुत्र विजय किशोर निवासी मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 335/26 धारा 305/326(f)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री दीपक कुमार सैनी चौकी प्रभारी विश्वविद्यालय
2. हे0कां0 राघवेन्द्र सिंह
3. कां0 जितेन्द्र सिंह
4. कां0 रिषभ सोनी